मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2010 (श्रावण 6, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का निष्पादन एवं लेनदेन लेखापरीक्षा (सिविल), तथा

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च,2009 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(3) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, प्रदेश में संचालित 108 एम्बूलेंस सेवा प्रदायकर्ता संस्था द्वारा आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, शिवा कार्पोरेशन कम्पनी द्वारा नर्मदा एवं तवा नदियों से रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री मोती कश्यप, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, जबलपुर नगर के गोरखपुर की पुलिस द्वारा युवक के हमलावरों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री अजय सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिला चिकित्सालय द्वारा गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ न दिये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम शहर स्थित जहांगीर आइल मिल के पास अनुसूचित जाति के पुजारी का मकान असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य, मण्डला जिले के एक ही ग्राम के अनेक कृषकों को कृषि प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

5. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, द्वारा किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण -

" दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 77 तथा 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार तीन सौ सत्तर करोड़, तेरह लाख, छिहत्तर हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

3 घन्टे (शेष 1 घन्टा 48 मि.)

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 (क्रमांक 19 सन् 2010) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा 30 मि. (शेष 30 मि.)

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 27 जुलाई, 2010

***अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**